भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3164

शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018/15 पौष, 1939 (शक)

राष्ट्रीय विसंगति संबंधी समिति

3164. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अधीन राष्ट्रीय विसंगति संबंधी समिति (एनएसी) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भविष्य में वेतन आयोग के गठन की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए), जो 50 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं, का समायोजन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या व्यय विभाग केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की नियमित रूप से निगरानी करने की जिम्मेदारी उठाने और यदि आवश्यक हो, तो इसमें परिवर्तन की सिफारिश करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क): सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के पश्चात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में गठित राष्ट्रीय विसंगति समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) से (घ): इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

******